



Government of India
Ministry of Labour & Employment: DGE,
NATIONAL CAREER SERVICE CENTRE FOR DIFFERENTLY ABLED
(Erstwhile: Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped)
P.O: Abhoynagar, Agartala Tripura West-799005
Phone & Fax -(0381)2325632
vrcagartala@nic.in/ agartala-vrch@gov.in

REMINDER

Ministry of Labour & Employment
National Career Service
Agartala

No. VRC/AGT/EST/A-11015/929

Dated: - 01-02-2022

To
The Under Secretary to the Govt. of India
(EE-II Section) DGE, M/o-Labour & Employment,
S.S. Bhavan, Rafi Marg,
New Delhi-110001.

**Subject: - Notification of vacancy of Career Assistant, Group-C (Non-Gazt.)
under 'UR' category in NCSC for DA, Agartala, Tripura-regarding.**


Sir,


In continuation to this office letter of even no. dated 22-12-2021 (copy enclosed) for notification of vacancy of Career Assistant, Group-C (Non-Gazetted) in Central Employment Exchange for filling up of the post at this Centre. It is to inform you that till date this Centre has not received any communication in this regard. The post of Career Assistant has been fallen vacant since 1st October-2021 due to transfer and filling up of the post is urgently required to gear up and smooth functioning of the referral section of this Centre.

As above, your authority is once again requested to kindly look into the matter so that notification of the post through Central Employment Exchange can be published at the earliest to fill up the post.

Thanking You,

Yours faithfully,


6/2/22
Assistant Director of Employment
Assistant Director (Referral)
NCSC for Differently Abled
Min. Labour & Employment, DGE
Govt. of India
Agartala Tripura 799005

- 1) Name & Designation of the Employer : **DR. PRADEEP MOHAPATRA**
Assistant Director of Employment I/C,
NCSC for DA, Govt. of India,
DGE, Ministry of Labour & Employment,
Abhoynagar, Agartala, Tripura West- 799005
Tel no- (0381) 2355632
mail: vrcaagartala@nic.in / agartala-vrch@gov.in
- 2) Nature of vacancy :
a) Designation : **Career Assistant (Group-C, Non-Gazetted)**
b) Nature of Work : Rehabilitation of Persons with Disabilities (PwDs)
- 3) Qualification required :
c) Essential : Post Graduate Degree in Social Work, Sociology, Psychology and Disabilities Studies from a recognized University.
d) Desirable : Three years working experience in Social Work, Vocational guidance, Job placement in disability sector.
- 4) Age limit : 30 Years (relaxable up to 35 years in case of Govt. employees)
- 5) No. of Vacancies : **01 (One) Temporary**
- 6) Scale of pay : Rs. 29,200 – 92,300/- & Level-5
(Pre Revised : 5,200 -20,200/- + Grade Pay Rs. 2800/-)
- 7) Place of Work : National Career Service Centre for Differently Abled
Abhoynagar, Agartala, Tripura State-799005
- 8) Whether the post is reserved or not: **The post is UN- RESERVED**
- 9) Designation and address of the Persons to whom applicants should report. : Assistant Director of Employment I/C.
NCSC for DA, Abhoynagar,
Agartala, Tripura State-799005
- 
Assistant Director of Employment I/C.
Assistant Director (Rehab.)
NCSC for Differently Abled
M/o-Labour & Employment, DGE
Govt. of India
Agartala, Tripura-799005

saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Career Assistant. (National Career Service)	45* (2019) * Subject to variation depending on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300)	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Upper age-limit is relaxable for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Other Backward Classes or Differently Abled Persons or Ex-Servicemen or departmental and Government Employees in accordance with the instructions or orders issued by the Government of India from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential Qualification: Master's Degree in Social Work, Sociology, Psychology and Disabilities Studies from a recognised University.</p> <p>Desirable Qualification: Three years working experience in social work, vocational guidance, job placement in disability sector.</p> <p>Note 1: The Qualifications are relaxable at the discretion of Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of the candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	<p>Educational Qualification: No, but must possess at least Degree in Social Work, Sociology, Psychology and Disabilities Studies from a recognised University.</p> <p>Age: No</p>	Two years	<p>Fifty Percent by promotion, failing which by deputation-cum-absorption and</p> <p>Fifty Percent by direct recruitment failing which by deputation-cum-absorption.</p>

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Field Assistant in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the concerned National Career Service Centre.</p> <p>Note : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.</p> <p>Deputation-cum-Absorption: From employees of any other National Career Service Centre for Differently Abled or Central Government or State Government</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director of Employment or Joint Director of Employment. – Chairman; 2. Deputy Director (Employment) or Assistant Director (Employment) of National Career Service Centre for Differently Abled concerned. – Member; 3. Principal of the Local Craftsman Training Institute or Deputy Director (Training) of Advanced Training Institute or National Vocational Training Institute or Foreman Training Institute or Industrial Training Institute. – Member. 	Not applicable.

holding analogous post on regular basis having similar educational qualification as prescribed for direct recruits under column (7).

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Field Assistant	31* (2019) * Subject to variation depending on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100)	Non-selection	Between 18 and 27 years. (Upper age-limit is relaxable for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Other Backward Classes or Differently Abled Persons or Ex-Servicemen or departmental and Government Employees in accordance with the instructions or orders issued by the Government of India from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,

ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, धर्म और रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय के अधीन दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र (पूर्ववर्ती व्यवसायिक पुनःवास केंद्र) के कार्यालयों में करियर सहायक, क्षेत्र सहायक, आशुलिपिक, अपर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, सेवा वाहन चालक, कर्मशाला परिचर और बहु कार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र (समूह 'ग', अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम इससे उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता .—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. करियर सहायक (राष्ट्रीय करियर सेवा)	45* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5: (29200-92300 रु.)	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या

				<p>अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या दिव्यांग जनो या भूतपूर्व सैनिकों या विभागीय और सरकारी कर्मचारियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु की उच्च सीमा शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>
--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और निःशक्तता अध्ययन में मास्टर्स डिग्री।</p> <p>वांछनीय अर्हता: सामाजिक कार्य विज्ञान, व्यावसायिक मार्गदर्शन और नौकरी नियोजन में काम काज का तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1:- अर्हताएं अन्यथा</p>	<p>शैक्षिक अर्हता: नहीं परंतु कम से कम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य समाज शास्त्र मनोविज्ञान और निःशक्तता अध्ययन में कम से कम डिग्री रखते हों।</p> <p>आयु: नहीं</p>	दो वर्ष	<p>50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति सह आमेलन द्वारा।</p> <p>50% सीधे भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर दोनों के हो सकने पर प्रतिनियुक्ति सह आमेलन द्वारा।</p>

<p>सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
--	--	--	--

<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500-81100 रु.) में के ऐसे क्षेत्र सहायक जिन्होंने संबंधित राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में उक्त पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण: प्रोन्नति के लिए अर्हता सूची अधिकारियों द्वारा उनके अपने ग्रेड या पद में विहित अहर्क सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में बनाई जाएगी। प्रतिनियुक्ति सह आमेलन दिव्यांग जन के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अहर्ता रखते हैं। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (रोजगार) या सहायक निदेशक (रोजगार) संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र। - सदस्य 3. स्थानीय शिल्पी प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य या उप निदेशक (प्रशिक्षण) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान या फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य 	<p>लागू नहीं होता।</p>

<p>लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. क्षेत्र सहायक	31* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4: (25500-81100 रु.)	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच (भारत (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या दिव्यांग जनो या भूतपूर्व सैनिकों या विभागीय और सरकारी कर्मचारियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु की उच्च सीमा शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक अर्हता : सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान में किसी एक विषय के साथ समाज शास्त्र 3 वर्ष की डिग्री।</p> <p>टिप्पण:</p>	<p>शैक्षिक अर्हता: हां आयु: नहीं</p>	दो वर्ष	<p>50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर किसी दिव्यांग जन के लिए अन्य राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में से प्रतिनियुक्ति सह आमेलन द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा। 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर किसी दिव्यांग जन के लिए अन्य राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में से</p>